



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45126 / 2025

राजाआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संतोष कुमार सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि., रामा पति त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री संतोष कुमार सिंह, आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री रामा पति त्रिपाठी, सूचनाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, तथा सुश्री इफ्राह इस्लाम, राज्य के लिए विद्वान राज्य विधि अधिकारी, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 163/2025, धारा 140(1), 103(1), 238, 191(2), 191(3), 3(5) बी.एन.एस. के अधीन, थाना सेन पश्चिमपारा, जिला कानपुर नगर में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी प्रकार की स्थिति में सह-अभियुक्त करण वर्मा को, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 35200 / 2025 में दिनांक 28.10.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक 8.7.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।
5. जमानत की प्रार्थना का सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने बलपूर्वक विरोध किया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 के मामले में पारित निर्णय और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नबहन खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 के मामले में पारित निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 में पारित निर्णय पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
7. आवेदक राजा, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्ती आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।
9. बंध-पत्र स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

विकास वर्मा